

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक 140/अकादमी(पात्रता)/2020

भोपाल, दिनांक 05/10/2020

संशोधित अधिसूचना

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रवेश संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांत (2020-21) के साथ-साथ पात्रता संबंधी शर्तों/निर्देशों के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दें। पात्रता संबंधी सामान्य निर्देश निम्नानुसार है एवं पात्रता आवेदन पत्र वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर उपलब्ध है।

नोट:- इस अधिसूचना में लिखित निर्देशों में तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता 'विरोधाभास' पाये जाने पर अथवा किसी बिन्दु के इन्टरप्रेटेशन की आवश्यकता की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश मान्य होंगे एवं विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

(A) i पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क:-

स.क्रमांक	पात्रता आवेदन पत्र जमा करने की तिथियों का विवरण	सामान्य शुल्क रूपये	शुल्क	विलम्ब शुल्क रूपये	कुल राशि रूपये
01	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक	300			300
02	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 30 दिनों तक	300		300	600
03	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिनों तक	300		600	900
04	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से परीक्षा प्रारम्भ होने तक	300		1000	1300

ii पात्रता प्रमाण पत्र के ऑन लाईन आवेदन करने के पश्चात हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रमाण पत्रों को पात्रता शाखा में 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा सत्यापन पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

iii उक्त बिन्दु में उल्लेखित समयवधि में अभिलेख (हार्ड कॉपी) प्रस्तुत ना करने की स्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर कुल देय शुल्क की 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त देय होगी।

(B) i माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 भोपाल एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली (सी.बी.एस.ई.) तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल एवं म.प्र. के अन्य पारम्पारिक विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र से छूट रहेगी।

ii समस्त विद्यार्थी बिन्दू क्रमांक (C) में उल्लेखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी पात्रता सुनिश्चित करे, यदि उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त विद्यार्थी के प्रवेश उपरान्त पात्रता संबंधी कोई त्रुटि/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त दायित्व विद्यार्थी का स्वयं का होगा तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

iii उक्त विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य समस्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समस्त पाठ्यक्रमों में पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने वाले देश की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त क. वि.वि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(C) पात्रता प्रमाण पत्र छूट संबंधी सामान्य निर्देश:-

1. स्नातक प्रथम वर्ष ऑनर्स हेतु:- हायरसेकेण्ड्री (10+2) में 60 प्रतिशत अंको से पास होना अनिवार्य होगा।
2. बी.ए.एल.एल.बी., बी.कॉम.एल.एल.बी., एवं एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:- कमश: हायरसेकेण्ड्री (10+2) एवं स्नातक अर्हतादायी परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा वार काउंसिल के निर्णयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।
3. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु:- एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होंगे) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
4. बी.बी.ए. एवं बी.पी.ई.एस. तथा बी.लिबद में प्रवेशित हेतु- कमश: हायरसेकेण्ड्री (10+2) एवं स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से पूर्व में हायर सेकेंड्री (ग्यारवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6 एम.सी.एम/पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. सोशल वर्क एवं बी.सी.ए., पाठ्यक्रम में प्रवेश :-
(अ) एम.सी.एम/पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. सोशल वर्क- में प्रवेश हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) बी.सी.ए.:- म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रं0 667/175/सी.सी./18/38 दिनांक 10/07/2018 द्वारा हायरसेकेंड्री (10+2) परीक्षा किसी भी संकाय में (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीव विज्ञान) गणित विषय के साथ एवं न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

7 जिन विद्यार्थियों ने पूर्व प्रचलित हायरसेकेंड्री (10+2+3) के अंतर्गत स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

8 अंकों के प्रतिशत में छूट एवं आयु संबंधी नियम तथा अन्य नियम भी मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एवं नियामक संस्थाओं के नियमानुसार ही मान्य होंगे। म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र 2020-21 में स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा तथा अंकों की छूट संबंधी नियम लागू होंगे।

9 पी.एच.डी. पाठ्यक्रम :- पी.एच.डी. के संबंध में अध्यादेश 11 में उल्लेखित प्रावधानों के नियम लागू होंगे। विसंगति की दशा में संबंधित संकायाध्यक्षों अथवा अध्यक्ष अध्ययन मण्डलों का अभिमत मान्य होगा।

(D) i पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश- विद्यार्थियों के लिये:-

1. पात्रता प्रवेश पूर्व की प्रक्रिया है अतः विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि प्रवेश से पूर्व किस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाह रहे हैं, तथा नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
2. बाह्य प्रदेशों के संबंधित सभी छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तो संबंधित छात्र/छात्राओं को परीक्षा संचालित भी किया जा सकता है।
3. पात्रता आवेदन पत्र के साथ संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य है जं कि संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।
4. अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर के प्रथम-द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में पात्रता तभी दी जावेगी जब उनके पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होंगे यदि पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाई जाती है तो प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(D) ii पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश- प्राचार्यों/संचालकों/निर्देशकों के लिये:-

1. प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था को संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। संबद्धता प्राप्त की प्रत्याशा में दिये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे।
2. प्रवेश उतनी सीटों पर ही दें, जितनी सीटें विश्वविद्यालय द्वारा अथवा केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है।
3. यू.जी.सी. द्वारा जिन विश्वविद्यालय को फर्जी एवं अमान्य घोषित कर दिया गया है उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जायें तथा ऐसे फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची संबंधित संस्थान के निर्देशक/महाविद्यालय के प्राचार्य यू.जी.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
4. अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि.वि. से उत्तीर्ण छात्र -छात्राओं को प्रवेश देने पर संबंधित महाविद्यालयके प्राचार्यों/विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी। अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि0वि0 से उत्तीर्ण ऐसे छात्र -छात्राओं के प्रवेश/परीक्षा परिणाम निरस्त करने का अधिकार वि0वि0 को होगा।
5. विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि **ATKT** प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जाये अन्यथा प्रवेश देने वाले महाविद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. जिन छात्र/छात्राओं को शासन के किसी सामान्य नियमों के तहत अंकों में या सीटों में छूट/आरक्षण का लाभ दिया जाता है, तो उसका महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उल्लेख करना सुनिश्चित किया जावे।
7. म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
8. महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 15 दिन की समयावधि में विश्वविद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

स्नातक स्तर पर नियमित/स्वाध्यायी प्रवेश हेतु पात्रता:-

1. अ विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह-विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - ब वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - स वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - द कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह-विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - इ गृह-विज्ञान संकाय में हायरसेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा गृह विज्ञान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।
2. अ बी.एस.सी. प्रवेश हेतु पात्रता :-हायरसेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा में बायोलॉजी समूह लेने वाले छात्रों को केवल बायोलॉजी समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - ब हायरसेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा में गणित समूह लेने वाले छात्रों को केवल गणित समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - स माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायरसेकेण्ड्री (10+2) में विज्ञान से मिलते-जुलते विषय तथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालेसिस, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री तथा माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विषय लेकर उत्तीर्ण छात्रों को बी.एस.सी. भाग-1 बायोलॉजी ग्रुप में प्रवेश की पात्रता है।
 - द- हायरसेकेण्ड्री (10+2) कृषि समूह वाले छात्रों को बी.एस.सी. भाग-1 बायोलॉजी समूह, मे एलाइड विषय जैसे माइक्रोवायोलॉजी, वायोटैक, स्पेशल कन्जरवेशन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन्डस्ट्रीयल केमिस्ट्री एवं शीड टैक्नोलॉजी, में प्रवेश की पात्रता है।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4.5. / 4.5 / 2020

कमांक .../.../.../अकादमी (पात्रता)/2020
प्रतिलिपि:-

1. सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं निजि महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु अग्रेसित।
4. उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
7. कुलसचिव जी के निज सचिव के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
8. निज नस्ती।

सहायक कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल